राजस्थान सरकार

यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 14/2026 प्रा0पत्र

अनवान

ह पिता नाथू सिंह जाति रावत निवासी पटवार भवन के पास कूकरखेडा तहसील भीम जिला मंद।

.... प्रार्थी

बनाम

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.......................अप्रार्थी

थति :—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक:— 02/4/2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य में खातेदारी कृषि भूमि ग्राम कूकरखेडा पटवार हल्का कूकरखेडा तहसील भीम जिला राजसमंद के जमाबंदी सम्वत् 2076/2079 के अनुसार खाता संख्या 306 (खाता संख्या पुराना 309) निम्न विवरण आराजियात आई हुई है—

खसरा नम्बर	खसरा नं.	रकबा है0 में	किस्म
306	2624	1.2060 है0	बंझड

2. यह कि मौजा कूकरखेडा तहसील भीम में प्रार्थी की खातेदारी भूमि होकर उक्त भूमि के जमाबन्दी नकल एवं भू—नक्शे में शुद्धि करवाना चाहता है।
03. यह कि राजस्व ग्राम कूकरखेडा पटवार हल्का कूकरखेडा भू0अभि0नि0 क्षैत्र बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द के आराजी खसरा नं. 2624 रकबा 1.2060 है0 के आराजी जमाबन्दी नकल एवं भू—नक्शे में प्रार्थी का हिस्सा भूमि 7/16 वां हिस्सा दर्शा रखा है जबकि मौके पर सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी का है एवं प्रार्थी का कब्जा—काश्त एवं उपयोग—उपभोग किया जा रहा है।
04. यह कि उक्त भूमि प्रार्थी के पिता नाथूसिंह पिता राजूसिंह से भूमि खरीद की गई। जिससे प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त सम्पूर्ण रकबा में से 1/2 रकबा विक्रय के आधार पर खरीद किया गया एवं 1/2 पूर्व में ही प्रार्थी के पिता के नाम पर था जो कि सही एवं सत्य है।

Scanned with OKEN Scanner

यह कि उक्त भूमि का नामान्तरण मानवीय त्रुटि वश नाथूसिंह पिता राजूसिंह के स्थान पर नाथूसिंह पिता लालसिंह दर्ज करने के बजाय नाथूसिंह पिता लालसिंह एवं वेणसिंह पिता नाथूसिह के नाम दर्ज कर दिया।

यह कि बेचाननामा के आधार पर उक्त भूमि नाथूसिंह पिता लाल सिंह के नाम दर्ज होनी थीं जबकि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार ऐसा नहीं होना पाया गया।

यह कि प्रार्थी के पिता फौत होने पर उक्त भूमि बेचाननामा एवं विरासत के आधार पर प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज न होकर 7/16 वां हिस्सा का अंकन हो रखा है जो कि गलत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 2624 रकबा 1.2060 है0 किस्म बंझड़ राजस्व ग्राम कुकरखेड़ा पटवार हल्का कुकरखेड़ा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र बरार तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित होकर जमाबंदी दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी जमाबंदी नकल एवं भू–नक्शें संबंधी शुद्धि करवाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार – राजस्व ग्राम कूकरखेडा में आ.न. 2624 रकबा 1.2060 है0 प्रार्थीगण के हिस्से में अशुद्धि दर्ज हो गई है जिसे शुद्धि किये जाने हेतु बिन्दुवार जांच रिपोर्ट निम्न बिन्दुवार है :–

01. जमाबंदी सवतं 2032 में राजस्व ग्राम कूकरखेडा में आ.नं. 2624 रकबा 7 बीघा 9 विस्वा भूमि में खातेदार नाथूसिंह पिता राजूसिंह 1/2 नाथूसिंह व वेणसिंह पिता लालसिह 1/2 रावत सा.देह दर्ज है।
02. यह है कि दिनांक 19.11.1976 को नाथूसिंह पिता राजूसिंह 1/2 हिस्सा बिकाव से रजिस्ट्रेड बयनामा से नाथूसिंह पिता लालसिंह को कर दिया।
03. यह है कि जिसके नामान्तरकरण संख्या 203 से नामान्तरण खुला तथा जिसका दाखला जमाबंदी 2032 खाता संख्या 412 खसरा नं. 2624 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा पर लगा नाथूसिंह पिता राजूसिंह 1/2 का हिस्सा नाथूसिंह व वेणसिंह पिता लालसिंह गलत अंकन हुआ है। जबकि सही नाथूसिंह पिता लालसिंह 3/4 वेणसिंह पिता लालसिंह 1/4 रावत सा.देह होना था। परन्तु गलती से हिस्से दोनो भाईयों के 1/2, 1/2 हो गया है। जमाबंदी सम्बत् 2036–2039 से आदिनांक तक त्रुटि चली आ रही है।
04. यह है कि नाथूसिंह पिता लालसिह के वारिसान कमशः 01.मूलसिंह 02.सीतादेवी 03. मीरादेवी 04.सन्तोषदेवी 05.कमलादेवी 06. अणछी देवी 07. कंकूसिंह 08. भंवरीदेवी पिता नाथूसिंह है एवं मूलसिंह को उसकी बहिने सीतादेवी, मीरादेवी, सन्तोषदेवी, कमलादेवी, अणछीदेवी, कंकूदेवी ने अपना हिस्सा हक त्याग कर दिया तथा भंवरीदेवी ने अपना हिस्सा हक त्याग नहीं किया है। अतः मूलसिह पिता नाथूसिंह का हिस्सा 5/8 तथा भंवरीदेवी के वारिसान का हिस्सा 1/8 रहेगा तथा वेणसिंह पिता लालसिंह के वारिस 1/4 में रहेगें।

अतः वर्तमान खाता संख्या 306 जमाबंदी 2076–79 खसरा नम्बर 2624 रकबा 1.2060 किस्म बंझड में खातेदारों के हिस्से शुद्धि हेतु प्रस्तावित निम्नानुसार किये जाना उचित रहेगा।

01.कुम्पसिंह पुत्र वेणसिंह 1/12 जाति रावत

Scanned with OKEN Scanner

02.जितेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 1/40 जाति रावत
03.देवीसिंह पुत्र रामसिंह 1/40 जाति रावत
04.नारायणसिंह पुत्र देवीसिंह 1/40 जाति रावत
05.प्रेमसिंह पुत्र वेणसिंह 1/12 जाति रावत
06.मूलसिंह पुत्र नाथूसिंह 5/8 जाति रावत
07.मिठूसिंह पुत्र वेणसिंह 1/12 जाति रावत
08.सुरेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 1/40 जाति रावत
09.सुशीला पुत्री देवीसिंह 1/40 जाति रावत

➢ तहसीलदार भीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2/4/2026 को मुकर्रर की गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराए। तहसीलदार की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाव का अवलोकन किया। उक्त आधार पर आराजी खसरा नम्बर 2624 रकबा 1.2060 है0 किस्म बंझड़ राजस्व ग्राम कुकरखेड़ा पटवार हल्का कुकरखेड़ा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र बरार तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी तथा हक हिस्से में निम्नानुसार शुद्धि करने के आदेश दिए जाते है –

01.कुम्पसिंह पुत्र वेणसिंह 1/12 जाति रावत
02.जितेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 1/40 जाति रावत
03.देवीसिंह पुत्र रामसिंह 1/40 जाति रावत
04.नारायणसिंह पुत्र देवीसिंह 1/40 जाति रावत
05.प्रेमसिंह पुत्र वेणसिंह 1/12 जाति रावत
06.मूलसिंह पुत्र नाथूसिंह 5/8 जाति रावत
07.मिठूसिंह पुत्र वेणसिंह 1/12 जाति रावत
08.सुरेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 1/40 जाति रावत
09.सुशीला पुत्री देवीसिंह 1/40 जाति रावत

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 2/4/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

क्रमांकः— कोर्ट/ 26/263 दिनांकः— 02/04/26

प्रेषितिः—

तहसीलदार
भीम

विषयः— निर्णय अनुसार पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विंचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2026 [illegible] अनवान मूलसिंह पिता नाथूसिंह [illegible] निवासी [illegible] बनाम राज्य सरकार जरिये ~~निवासी~~ तहसीलदार भीम में निर्णय दिनांक 2/4/26 हो चुका है। निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। निर्णय अनुसार पालना की जाकर पालना से नियत दिनांक 01 माह से पूर्व अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमंद

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला राजसमंद

Scanned with OKEN Scanner